

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

व्य.वाद क.78ए/2016

संस्थित दिनांक-15.05.2014

फा.नंबर-234503001692014

- 1.श्रीमती रामबतीबाई, उम्र-48 वर्ष पति स्व० सुरपसिंह, जाति गोंड,
 - 2.मनीष सैयाम, उम्र-31 वर्ष पिता स्व० सुरपसिंह, जाति गोंड,
 - 3.मंजीत उम्र-28 वर्ष पिता स्व० सुरपसिंह, जाति गोंड,
- सभी निवासी ग्राम भीमजोरी, तहसील बिरसा जिला बालाघाट।

.....वादीगण

:: विरुद्ध ::

- 1.श्रीमान महाप्रबंधक हिन्दुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखंड,
ताम्र परियोजना मलाजखंड, तहसील बिरसा जिला बालाघाट।
- 2.मध्यप्रदेश शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय बालाघाट
जिला बालाघाट मध्यप्रदेश(म०प्र०)

.....प्रतिवादीगण

:: निर्णय ::**(आज दिनांक-12.08.2017 को घोषित किया गया)**

01- यह वाद वादग्रस्त भूमि मौजा भीमजोरी, प.ह.नंबर-43, रा.नि.मं. व तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर-27/9 रकबा 0.11 डिसमिल भूमि में से 0.04 डिसमिल के विषय में घोषणार्थ, कब्जा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02- वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 के मध्य वादग्रस्त भूमि मौजा भीमजोरी, प.ह.नंबर-43, रा.नि.मं. व तहसील बिरसा जिला बालाघाट में स्थित खसरा नंबर-27/9 रकबा 0.11 डिसमिल भूमि में से 0.04 डिसमिल है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के हक, मालिकी एवं भूमिस्वामी कब्जे की भूमि है, जिसपर वादीगण कोदो-कुटकी की फसल की काश्त करते थे। वादीगण गरीब हैं, इसलिये वे अक्सर खाने-कमाने बाहर चले जाते थे। पिछले वर्ष वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर मकान बनाने हेतु भूमि की सफाई की गई और मकान निर्माण हेतु भूमि के सीमांकन हेतु तहसीलदार बिरसा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके उपरांत राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 15.04.2013 को वादग्रस्त भूमि का विधिवत् सीमांकन कर स्थल पंचनामा एवं फिल्ड बुक तैयार की गई, जिसमें सीमांकित नक्शे में वादग्रस्त भूमि के दक्षिण भू-भाग पर प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा अवैध रूप से

अतिक्रमण कर पाईप-लाईन बिछा दी गई है, जिसे राजस्व निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण के भू-भाग को लाल स्याही से चिन्हित किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 का कोई हक अधिकार नहीं होने के उपरांत भी उसके द्वारा वादीगण के हक को पाईप-लाईन बिछाकर नष्ट कर दिया गया है।

03. वादीगण द्वारा राजस्व निरीक्षक, बिरसा द्वारा किये गये सीमांकन के उपरांत प्रतिवादी क्रमांक 01 को मौखिक एवं लिखित रूप से पाईप-लाईन वादग्रस्त भूमि से हटाने कहा गया, किन्तु प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा उक्त संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसके उपरांत वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड सूचना पत्र उसके अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 01 को भिजवाई गई, जिसे प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा दिनांक 22.03.2014 को प्राप्त किया गया, किन्तु नोटिस प्राप्त होने के पश्चात भी प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा उक्त नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया और ना ही पाईप-लाईन हटाई गई। वादग्रस्त भूमि वादीगण के हक, मालिकी एवं कब्जे की होने से उसका कब्जा प्रतिवादी क्रमांक 01 से उन्हें दिलाया जावे। अतः वादग्रस्त भूमि पर निर्मित पाईप-लाईन को हटाकर भूमि को पूर्वतः कराया जाकर प्रतिवादी क्रमांक 01 को स्वयं या प्रतिनिधि को वादग्रस्त भूमि पर दखल देने से स्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से निषेधित किये जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है।

04— स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त, वादीगण के अभिवचनों का प्रत्याख्यान कर अपने जवाबदावा एवं प्रतिदावा में प्रतिवादी क्रमांक 01 ने यह कहा है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, मलाजखंड ताम्र परियोजना का महाप्रबंधक है तथा परियोजना केन्द्र सरकार का एक उपक्रम है। उक्त परियोजना जब स्थापित की जा रही थी, तब ग्राम करमसरा, भीमजोरी, पिण्डकापार(रैयतवारी), पिण्डकापार(ठेकेदारी), चारटोला एवं ग्राम खुर्शीपार की भूमि की आवश्यकता होने से कलेक्टर बालाघाट के द्वारा म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165(6) के अंतर्गत दिनांक 13.05.1973 को उपरोक्त ग्रामों के आदिवासी भूमिधारकों को उनकी भूमि हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई एवं दिनांक 15.05.1973 को मेमोरेन्डम जारी किया गया। अनुमति प्राप्त होने के उपरांत परियोजना ने

उपरोक्त ग्रामों के बहुत से कृषकों की भूमि उनके विभिन्न कार्यों के लिये क्रय की थी। वादी क्रमांक 01 के पति व शेष के पिता श्री सुरपसिंह आत्मज मानू निवासी भीमजोरी थे, जिनकी खसरा नंबर 27/9 रकबा 1.37 एकड़ भूमि ग्राम भीमजोरी में थी। परियोजना ने अपनी नल-जल योजना के अंतर्गत ग्राम भीमजोरी स्थित बंजर नदी से परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पाईप-लाईन बिछाने की योजना बनाई, तब आस-पास के लोगों को ज्ञात हुआ कि सुरपसिंह आत्मज मानू की भूमि से होकर परियोजना की पाईप-लाईन जायेगी, तब परियोजना में रोजगार पाने के उद्देश्य से बहुत से लोगों ने सुरपसिंह से छोटे-छोटे रकबे पहले ही क्रय किये और मूल नक्शे में छोटे-छोटे क्रय किये गये रकबों का बटांकन नहीं हो पाया।

05. परियोजना ने पाईप-लाईन बिछाने के उद्देश्य से अन्य कृषकों के अतिरिक्त वादी क्रमांक 01 के पति तथा शेष वादीगण के पिता सुरपसिंह से दिनांक 04.06.1982 को उसकी खसरा नंबर 27/9 रकबा 1.37 एकड़ में से रकबा 0.06 एकड़(06 डिसमिल) भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से 180/- रुपये में क्रय करने के पश्चात पाईप-लाईन विधिवत् सीमांकन पश्चात वर्ष 1982 में बिछाई थी। सुरपसिंह पिता मानू को परियोजना द्वारा उनकी भूमि अधिग्रहण किये जाने के कारण परियोजना नीति के अनुसार परियोजना सांद्रण विभाग में मजदूर के पद पर दिनांक 26.10.1982 को नियुक्ति दी गई थी, जिसका सर्विस कोड नंबर-1685 है। दिनांक 21.10.1999 को सुरपसिंह की मृत्यु होने से उनके वारसानों को मिलने वाली संपूर्ण राशि का भुगतान वादी क्रमांक 01 को किया गया था। परियोजना द्वारा क्रय की गई भूमि का नामांतरण होकर उसका खसरा नंबर 27/72 रकबा 0.06 एकड़ हो गया है। वादी क्रमांक 01 के पति एवं शेष वादीगण के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में पाईप-लाईन को लेकर व उनकी गई भूमि को लेकर कोई आपत्ति अथवा दावा किसी भी फोरम में दर्ज नहीं करवाया गया। दिनांक 13.10.1989 में ग्राम भीमजोरी की खसरा नंबर 27 में बनी पाईप-लाईन का सीमांकन तत्कालीन राजस्व निरीक्षक बिरसा श्री डी.आर.एस. काकोड़िया व सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख बालाघाट से प्रतिवादी क्रमांक 01 परियोजना ने करवाया, उस सीमांकन में स्व0 सुरपसिंह व अन्य कृषक उपस्थित थे, उक्त

सीमांकन की रिपोर्ट संलग्न है। परियोजना की पाईप-लाईन के बिछे होने के 32 वर्षों के पश्चात अवैधानिक सीमांकन को वादीगण द्वारा आधार बनाया गया है। वादीगण की कोई भूमि पाईप-लाईन में गई है तो भी विरोधी आधिपत्य के आधार प्रतिवादी क्रमांक 01 परियोजना उक्त भूमि की स्वामी हो गई है।

06. दिनांक 15.04.2013 को कोई विधिवत सीमांकन वादीगण ने नहीं करवाया है। राजस्व निरीक्षक, बिरसा के प्रतिवेदन दिनांक 29.04.2013 में उल्लेखित पंक्ति कि "आवेदिका एवं अन्य पक्षकारों को सूचित किया गया तथा दिनांक 15.04.2013 को हल्का पटवारी के साथ स्थल का सीमांकन किया गया। उक्त भूमि के दक्षिण तरफ पाईप-लाईन है, जिसमें लगभग 0.04 एकड़ भूमि गई है, शेष भूमि को मौके पर पक्षकारों को नाप कर बताया गया, मूल नक्शे में बटांकन अंकित नहीं होने से फील्ड-बुक नहीं दी जा सकती, नाप किया गया स्थल नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है और उक्त सीमांकन से आवेदिका संतुष्ट है"। उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक ने प्रतिवादी परियोजना को उपरोक्त सीमांकन की कोई विधिवत सूचना नहीं दी और ना ही प्रतिवादी परियोजना ने पाईप-लाईन बिछाई है। मात्र पाईप-लाईन लगी होने का उल्लेख है। मूल नक्शे में बटांकन अंकित नहीं होने से फील्ड-बुक नहीं दी जा सकती, परंतु वादीगण ने वादपत्र की कंडिका क्रमांक 05 में फील्ड-बुक तैयार किये जाने का उल्लेख किया है, जो मनगढ़ंत व असत्य है। मूल नक्शे में बटांकन अंकित नहीं है, तब यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि विधिवत् सीमांकन किया गया है। वादीगण द्वारा 11 डिसमिल भूमि को अपनी होना दर्शा रहे हैं तथा वादपत्र की कंडिका क्रमांक-06 में 04 डिसमिल भूमि पर हक की उद्घोषणा चाह रहे हैं। वादी क्रमांक 01 एवं शेष वादीगण के पिता सुरपसिंह द्वारा विक्रय की गई भूमि को अवैधानिक सीमांकन के आधार पर असत्य बताकर नये सिर से विस्थापित की श्रेणी में आकर प्रतिवादी क्रमांक 01 परियोजना में पुनः नौकरी पाना चाहते हैं। प्रतिवादी परियोजना द्वारा ग्राम भीमजोरी की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 27 की संपूर्ण भूमि का पुनः नये सिरे से सीमांकन कराये जाने हेतु तहसीलदार बिरसा के न्यायालय में दिनांक 08.10.2014 को आवेदन दिया है। उक्त सीमांकन से वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

07— प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा प्रतिदावा प्रस्तुत कर यह व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 परियोजना की पाईप-लाईन वादीगण की 04 डिसमिल भूमि पर स्थित है तब भी पाईप-लाईन वर्ष 1982 से उक्त भूमि पर लगी हुई है जो कि वादीगण व सुरपसिंह की जानकारी में वर्ष 1982 से है, जिसके संबंध में वादीगण ने अथवा सुरपसिंह ने कोई आपत्ति/दावा नहीं किया है। विरोधी आधिपत्य के सिद्धांत अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 01 परियोजना वादग्रस्त खसरा नंबर 27/9 रकबा 0.04 एकड़ भूमि ग्राम भीमजोरी प.ह.नं.43 रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट का भूमिस्वामी हो चुकी है, जिससे भूमिस्वामी होने की उद्घोषणा प्राप्त करने की अधिकारी प्रतिवादी क्रमांक 01 परियोजना है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा झूठे आधारों पर यह दावा प्रस्तुत किया गया है, जिसे निरस्त किया जावे।

08— वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा का जवाब प्रस्तुत कर यह व्यक्त किया गया है कि खसरा नंबर 27/9 रकबा 0.11 एकड़ मौजा भीमजोरी प.ह.नं.43 रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट में स्थित भूमि आदिवासी वादीगण की है, जिसका अंतरण बिना कलेक्टर की अनुमति के नहीं किया जा सकता है। वादीगण के पिता सुरपसिंह द्वारा खसरा नंबर 27/9 रकबा 0.11 डिसमिल भूमि का अंतरण प्रतिवादी क्रमांक 01 के पक्ष में नहीं किया गया था। प्रतिवादी क्रमांक 01 म0प्र0 शासन एवं केन्द्रीय शासन के अंतर्गत नहीं आता है तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत आती है, जिसकी एक मात्र मलाजखंड में कॉपर उत्खनन का काम है, आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी को अंतरित नहीं हो सकती है और ना ही प्रतिवादी क्रमांक 01 कंपनी का विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य है। धारा-170, 165 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तथा भारतीय संविधान के अंतर्गत यह व्यवस्था दी गई है कि आदिवासी की भूमि पर गैर आदिवासी को कोई विरोधी आधिपत्य प्राप्त नहीं होगा। प्रतिवादी क्रमांक 01 आदिवासी व्यक्ति न होकर गैर आदिवासी व्यक्ति है। सुरपसिंह को उपरोक्त भूमि के विक्रय के संबंध में कंपनी द्वारा पाईप लाईन बिछाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी, यदि जानकारी रही भी हो तो कंपनी को कोई विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वामित्व प्राप्त

नहीं होगा। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा निरस्त किया जावे।

09— न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है, जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार है:—

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या मौजा भीमजोरी प.ह.नं.43 रा.नि.मं. व तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर-27/9 रकबा 0.11 डिसमिल भूमि में से 0.04 डिसमिल भूमि पर वादीगण को स्वत्व प्राप्त है ?	प्रमाणित
2.	क्या उक्त विवादित भूमि के नजरी-नक्शा में दर्शित अ, ब, स, द भू-भाग पर प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा अवैध रूप से पाईप-लाईन डालकर अतिक्रमण किया गया है ?	अप्रमाणित
3.	क्या वादीगण के कब्जे वाली उक्त विवादित भूमि में प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ?	अप्रमाणित
4.	क्या उक्त विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 के स्वत्व की है ?	अप्रमाणित
5.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका 21 के अनुसार

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-01

10— वादी मंजीत सैयाम वा.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि उसके हक मालिकी व कब्जे की भूमि खसरा नंबर 27/9 रकबा 0.11 डिसमिल मौजा भीमजोरी तहसील बिरसा स्थित है, जिस पर उसके द्वारा काशत कर फसल ली जाती रही है। उसके द्वारा वाद के समर्थन में कम्प्यूटर खसरा वर्ष 2013-14 की सत्य प्रतिलिपि प्र.पी.01 तथा विवादित भूमि का खसरा वर्ष 2012-13 प्र.पी.04 प्रस्तुत की है।

11— गजेन्द्र सिंह वा.सा.02 तथा अब्दुल हनीफ वा.सा.03 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 27/9 रकबा 0.11 डिसमिल बर्ग किस्म की है, जिस पर वादीगण का 40 वर्षों

से शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि पर वादीगण तथा सुरपसिंह द्वारा कृषि कार्य कर फसल ली जाती थी और वर्तमान में भी वादीगण द्वारा उक्त भूमि पर काश्त किया जाता है।

12— प्रतिवादी द्वारा न तो अपने अभिवचन में और ना ही साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के स्वामित्व को चुनौती दी है, अपितु उन्होंने अभिवचन में खसरा नंबर 27/9 रकबा 1.37 एकड़ में से 06 डिसमिल भूमि सुरपसिंह से क़य करना व्यक्त किया है। वादी साक्ष्य तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से भूमि खसरा नंबर 27/9 रकबा 17 डिसमिल वादीगण का स्वामित्व दर्शित होता है, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा भी उक्त तथ्य को कोई चुनौती नहीं दी गई है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष प्रमाणित के रूप में दिया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 02 एवं 03

13— वादी मंजीत सैयाम वा.सा.01 ने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि गरीब परिस्थिति का होने के कारण वह तथा उसके परिवार के सदस्य खाने-कमाने के लिये बाहर चले जाया करते थे। आज से लगभग दो वर्ष पूर्व उसके द्वारा अपने निवास हेतु मकान बनाने के लिये विवादित भूमि की सफाई कर सीमांकन हेतु तहसीलदार न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके पश्चात दिनांक 15.04.2013 को राजस्व निरीक्षक बिरसा द्वारा विवादित भूमि का सीमांकन किया गया। उक्त सीमांकन प्रतिवेदन में विवादित भूमि के दक्षिण भू-भाग पर प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर पाईप लाईन होना दर्शाया गया। उक्त भूमि उनके स्वामित्व तथा आधिपत्य की है, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा बिना किसी अधिकार के चोरी छिपे पाईप लाईन बिछाकर अतिक्रमण किया गया है। उक्त संबंध में सीमांकन उपरांत प्रतिवादी क्रमांक 01 को रजिस्टर्ड सूचना पत्र प्रेषित किया गया, परंतु उसके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और ना ही पाईप लाईन हटाई गई, जिस हेतु हक घोषणार्थ, आधिपत्य तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। उसने वाद के समर्थन में खसरा वर्ष 2013-14 प्र.पी.01, सीमांकन प्रतिवेदन प्र.पी.02, वादग्रस्त भूमि का नक्शा प्र.पी.03, विवादित भूमि का खसरा वर्ष 2012-13 प्र.पी.04, मानचित्र प्र.पी.05, तहसीलदार बिरसा की आदेश पत्रिका दिनांक 11.05.2014 से दिनांक 15.06.2015 प्र.पी.06, वादी मंजीत कुमार

द्वारा बटांकन हेतु तहसीलदार बिरसा को प्रस्तुत आवेदन की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.07 तथा उक्त संबंध में राजस्व निरीक्षक बिरसा द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत प्रतिवेदन की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.08, विवादित भूमि का नक्शा प्र.पी.09, नक्शा बटांकन संबंधी राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा तैयार स्थल पंचनामा की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.10 एवं नायब तहसीलदार बिरसा द्वारा विवादित भूमि के नक्शा बटांकन संबंधी इस्तेहार की घोषणा की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.11 प्रस्तुत की है।

14— उक्त कथनों का समर्थन कर गजेन्द्र सिंह वा.सा.02 एवं अब्दुल हनीफ वा.सा.03 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। आज से डेढ़ वर्ष पूर्व पता चला कि हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा चोरी छिपे बिना किसी अधिकार के वादीगण की 0.04 डिसमिल पर पाईप लाईन बिछाकर अवैध अतिक्रमण किया है।

15— वादीगण के अभिवचनों का खंडन कर अंदेवेणु प्र.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि ताम्र परियोजना की स्थापना के दौरान ग्राम करमसरा, भीमजोरी, पिण्डेपार, चारटोला तथा खुर्सीपार की भूमि की आवश्यकता होने पर कलेक्टर बालाघाट ने म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा-65(6) अंतर्गत दिनांक 13.05.1973 को उपरोक्त ग्रामों के आदिवासी भूमिधारकों को अपनी भूमि हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की और दिनांक 15.05.1973 को मेमोरेन्डम जारी किया गया, जिसके पश्चात परियोजना ने उपरोक्त ग्रामों के बहुत से कृषकों की भूमि अपने विभिन्न कार्यों के लिये क्रय की, जिसमें वादी क्रमांक 01 के पति तथा अन्य वादीगण के पिता सुरपसिंह आत्मज मानू निवासी भीमजोरी की भूमि खसरा नंबर 27/9 रकबा 1.37 एकड़ सम्मिलित थी। जब परियोजना ने ग्राम भीमजोरी स्थित बंजर नदी से वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पाईप लाईन बिछाने की योजना तैयार की तब आसपास के लोगों ने सुरपसिंह की भूमि से पाईप लाईन गुजरने की जानकारी पर परियोजना में रोजगार पाने के उद्देश्य से सुरपसिंह से छोटे-छोटे रकबे क्रय किये, जिनका मूल नक्शे में बटांकन नहीं हो पाया।

16— अंदेवेणु प्र.सा.01 के अनुसार परियोजना ने पाईप लाईन हेतु अन्य कृषकों के अलावा सुरपसिंह से दिनांक 04.06.1982 को उसकी भूमि खसरा नंबर 27/9 रकबा 1.37 एकड़ में से 06 डिसमिल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से 180/- रुपये में क्रय कर विधिवत सीमांकन उपरांत वर्ष 1982 में पाईप लाईन बिछाई तथा परियोजना की नीति अनुसार सुरपसिंह को भूमि विस्थापन के लिये सांद्रण विभाग में मजदूर के पद पर दिनांक 26.10.1982 को नियुक्ति दी गई, जिनका सर्विस कोड 1685 है। दिनांक 21.10.1999 को मृत्यु होने पर मृत्यु पश्चात मिलने वाली समस्त राशि का भुगतान वादी क्रमांक 01 को किया जा चुका है। उक्त तथ्य को वादीगण द्वारा जानबूझकर छुपाया गया है। वर्ष 1982 के पश्चात से परियोजना की पाईप लाईन उसी स्थान पर लगी हुई है तथा क्रय पश्चात भूमि का नामांतरण होकर नवीन खसरा नंबर 27/72 रकबा 06 डिसमिल हो चुका है। स्व० सुरपसिंह ने अपने जीवनकाल में कभी भी उक्त भूमि के संबंध में कोई आपत्ति किसी भी फोरम में दर्ज नहीं करवाई तथा उक्त तथ्य को छुपाकर वादीगण द्वारा न्यायालय में दूषित मंशा से वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी की पाईप लाईन वर्ष 1982 से उक्त भूमि पर लगी हुई है जो पूर्णतः वादीगण की जानकारी में प्रारंभ से है, जिस पर उन्होंने कभी कोई आपत्ति पेश नहीं की, इसलिये विरोधी आधिपत्य के सिद्धांत अनुसार उनका वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 27/9 रकबा 04 डिसमिल पर स्वामित्व परिपक्व हो चुका है। उसने प्रतिदावा के समर्थन में सुरपसिंह द्वारा निष्पादित बिक्री पत्र दिनांक 04.06.1982 की प्रमाणित प्रति प्र.डी.01, ग्राम भीमजोरी का राजस्व मानचित्र प्र.डी.02, पांचसाला खसरा प्र.डी.03, नगर प्रशासन कार्यालय का पत्र प्र.डी.04, प्रतिवादी कंपनी द्वारा रामबतीबाई को प्रेषित पत्र प्र.डी.05, सीमांकन फिल्ड बुक प्र.डी.06 तथा संलग्न राजस्व मानचित्र प्र.डी.07 प्रस्तुत किया है।

17— वादीगण का मुख्य आधार सीमांकन प्र.पी.02 है, जिसमें 04 डिसमिल भूमि पर प्रतिवादी की पाईप लाईन होना व्यक्त किया गया है। उक्त सीमांकन रिपोर्ट में ही मूल नक्शे में बटांकन न होना व्यक्त किया गया है। पश्चात में वादीगण द्वारा प्रस्तुत बटांकन आवेदन पत्र प्र.पी.08 की रिपोर्ट में यह व्यक्त किया गया है कि पूर्व में नाप में बटांकन तथा अन्य कारणों से विसंगति

हुई, जिसके पश्चात मौके पर नापकर पाईप लाईन की भूमि को छोड़कर वादीगण की 11 डिसमिल भूमि चिन्हांकित कर बताई, जिस पर वादी मंजीत कुमार ने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। उक्त सीमांकन दिनांक 04.06.2015 के पश्चात से वादीगण द्वारा उक्त सीमांकन को राजस्व न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गई। वादीगण द्वारा न तो न्यायालय के माध्यम से नवीन सीमांकन का कोई प्रयत्न किया गया और ना ही साक्ष्य में सीमांकनकर्ता का परीक्षण कराकर उक्त रिपोर्ट को चुनौती दी गई। स्वयं वादी मंजीत सैयाम वा. सा.01 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में व्यक्त किया कि वह सीमांकन रिपोर्ट से संतुष्ट था, उक्त सीमांकन अपने हिसाब से तैयार किया रहा था, इसलिये उसने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया था। राजस्व रिकार्ड के अनुसार राजस्व निरीक्षक तथा पटवारी ने सीमांकन किया था। कंडिका-7 में कथन किया कि प्र.पी.08 के मुताबिक मलाजखंड कॉपर की 20 मीटर पाईप लाईन की भूमि को छोड़कर उसके बताये अनुसार उसके कब्जे के आधार पर भूमि का नाप कर उसे 11 डिसमिल भूमि चिन्हित कर बताई गई।

18— वादीगण के अनुसार दो वर्ष पूर्व मकान हेतु विवादित भूमि के सीमांकन के दौरान उन्हें प्रतिवादीगण के अतिक्रमण की जानकारी हुई। वादी साक्षियों के अनुसार तीन वर्ष पूर्व पता चला कि प्रतिवादी कंपनी द्वारा चोरी किये वादीगण की भूमि पर पाईप लाईन बिछा दी गई है। प्रतिवादी के अनुसार सुरपसिंह से कय पश्चात उनके द्वारा वर्ष 1982 में पाईप लाईन बिछाई गई, जिसका नवीन खसरा नंबर 27/72 हुआ, जिसके संबंध में उन्होंने खसरा वर्ष 2013-14 प्र.डी.03 प्रस्तुत किया है। वादी साक्षी गजेन्द्र सिंह वा.सा.02 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि पाईप लाईन 28-30 वर्षों से बिछी हुई है तथा सर्वे के बाद ना कि चोरी छिपे बिछाई गई है।

19— साक्षी हनीफ वा.सा.02 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 03 में कथन किया कि पाईप लाईन वर्ष 1982 में बिछाई गई, जो कि सुरपसिंह की भूमि से गुजरी है। स्वयं वादीगण के अभिवचन है कि उनका वादग्रस्त भूमि पर पूर्व से काश्त रहा है। उक्त साक्ष्य तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा विधिवत कय पश्चात पाईप-लाईन वर्ष 1982 में बिछाई गई है, परंतु नक्शा बटांकन न होने के कारण संपूर्ण विवाद का जन्म

हुआ है तथा बटांकन उपरांत सीमांकन होने से वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वर्तमान प्रकरण की मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य से यह दर्शित नहीं होता कि प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है अथवा वादीगण के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः विवाद्यक क्रमांक 02 व 03 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-04 का निष्कर्ष:-

20- विरोधी आधिपत्य हेतु अन्य व्यक्ति के स्वामित्व को नकार कर उसकी जानकारी के अबाध शांतिपूर्वक 12 वर्ष से अधिक समय तक लगातार आधिपत्य होना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में प्रतिवादी कंपनी द्वारा विधिवत क्रय पश्चात् पाईप-लाईन बिछाने के अभिवचन किये हैं तथा तत्संबंध में दस्तावेज भी प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का आधिपत्य ही दर्शित नहीं है। ऐसी स्थिति में विरोधी आधिपत्य का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अतः विवाद्यक क्रमांक 04 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 05 का निष्कर्ष:-

सहायता एवं व्यय:-

21- उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है तथा निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है:-

अ- उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

ब- अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा तालिका अनुसार जो कम हो वाद व्यय में जोड़ी जावे।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

सही/-

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.

सही/-

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.